UPMP040083402026

न्यायालय Addl C.J.M, Mainpuri

पीठासीन अधिकारी– (Garima Singh) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP02423**

Criminal Misc. Cases/1408/2026

State Of U. P Vs. akash

दिनांकः 23. 05. 2026

प्रार्थी की ओर से उपरोक्त वर्णित मामले में माननीय निगरानी न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 28. 03. 2026 के आलोक में वाहन रिलीज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। माननीय निगरानी न्यायालय के आदेश के आलोक में वाहन रिलीज प्रार्थना पत्र पर पुनः सुनवाई की गयी।

प्रार्थी/ आवेदक आकाश पुत्र सत्यवीर की ओर से द्वितीय वाहन रिलीज प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 18/ 2025 अंतर्गत धारा 281(4) ,319(2) ,61(2) भारतीय न्याय संहिता एवं 66(सी) एवं 66 (डी) आई. टी. एक्ट थाना- साइबर क्राइम जिला मैनपुरी में थाने में निरूद्ध वाहन कार पंजीयन संख्या UP 14 RT 8052 को सुपुर्दगी में दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी उपरोक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है प्रार्थी के पास वाहन के कागजात मौजूद है जो पूर्ण व वैध है। प्रार्थी का उपरोक्त वाहन थाना साइबर क्राइम जिला मैनपुरी में खड़ा है। प्रार्थी का वाहन खुले स्थान पर खड़े रहने से उसमें काफी नुकसान होने का संदेह है। प्रार्थी की ओर से प्रथम रिलीज प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दायर किया था जो माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया उसके पश्चात माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रार्थी का रिवीजन दिनांक 28. 03. 2026 को स्वीकार किया गया। अतः उपरोक्त वाहन को प्रार्थी के हक में रिलीज करने की यांचना की गयी।

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी/ आवेदक द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र से पूर्व भी वाहन रिलीज प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया,जिसे न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 01. 01. 2026 द्वारा निरस्त किया गया। उपरोक्त आदेश से क्षुब्ध होकर प्रार्थी/ आवेदक द्वारा माननीय सत्र न्यायालय ,मैनपुरी के समक्ष निगरानी संख्या 04/ 2026 प्रस्तुत की गयी,जिसमें माननीय निगरानी न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 28. 03. 2026 में उक्त आदेश दिनांकित 01. 01. 2026 को अपास्त करते हुए वाहन रिलीज प्रार्थना पत्र पर पुनः विधि अनुसार आदेश पारित किये जाने हेतु दिशा निर्देशित किया गया।

माननीय निगरानी न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28. 03. 2026 का ससम्मान अवलोकन किया गया।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के सम्यक अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी की ओर से प्रश्नगत वाहन को अपने हेक में रिलीज किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसको इस न्यायालय द्वारा पूर्व में गुण- दोष के आधार पर आदेश दिनांकित 01. 01. 2026 द्वारा निरस्त किया गया। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर प्रार्थी/ आवेदक द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गयी।

माननीय निगरानी न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 28. 03. 2026 में उक्त आदेश दिनांकित 01. 01. 2026 को अपास्त करते हुए वाहन रिलीज प्रार्थना पत्र पर पुनः विधि अनुसार आदेश पारित किये जाने हेतु दिशा निर्देशित किया गया।

प्रश्नगत मामले में वाहन रिलीज प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में माननीय निगरानी न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 28. 03. 2026 के पैरा- 06 में उल्लेख किया गया है " *अभियुक्त द्वारा साइबर ठगी की धनराशि से उक्त कार को खरीदने के कारण उपरोक्त रिलीज प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है, परन्तु पुलिस को दिए गये बयान में पुलिस अभिरक्षा में रखी कार को उक्त साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि से खरीदने की पुष्टि नहीं होती है और न ही इस स्तर पर ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध है, जिसके आधार पर यह निश्चयात्मक रूप से उपधारणा की जा सके कि उक्त कार साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि से ही खरीदी गयी थी।*" माननीय निगरानी न्यायालय द्वारा उक्त आदेश में यह पारित किया गया है कि प्रश्नगत वाहन का साइबर ठगी के माध्यम से अर्जित धनराशि द्वारा क्रय किये जाने के सम्बन्ध में इस स्तर पर कोई निश्चायत्मक उपधारणा नहीं की जा सकती है। मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है तथा प्रश्नगत वाहन से सम्बन्धित साक्ष्य संकलन की कार्यवाही शेष नहीं है। जहाँ तक प्रश्नगत मामले में प्रार्थी द्वारा निरूद्ध वाहन को साइबर ठगी में अर्जित धनराशि से क्रय किये जाने का प्रश्न है, तो वह साक्ष्य का विषय है। अतः माननीय निगरानी न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 28. 03. 2026 एवं **माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था सुन्दर भाई अम्बा लाल देसाई बनाम गुजरात राज्य 2013(1) जे. आई. सी. 615** के आलोक में प्रश्नगत मामले में निरूद्ध वाहन संख्या UP 14 RT 8052 को प्रार्थी/ पंजीकृत स्वामी के हक में सशर्त रिलीज किये जाने के आधार पर्याप्त हैं।

आदेश

अतः उक्त प्रश्नगत वाहन कार पंजीयन संख्या UP 14 RT 8052 के पंजीकृत स्वामी / आवेदक को बतौर सुपुर्दगी हस्तगत किया जाता है। प्रार्थी द्वारा इस आशय का एक व्यक्तिगत बन्धपत्र व एक प्रतिभू व अण्डरटेकिंग मुव० 8,00,000/ - रूपये(आठ लाख रूपये) की दाखिल की जाए।

(1) प्रार्थी की ओर से इस आशय की अण्डरटेकिंग दी जाये कि वह दौरान मुकदमा उक्त वाहन का विक्रय नहीं करेगा एवं उसके भौतिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा तथा किसी अन्य के पक्ष में हस्तान्तरित नहीं करेगा।

(2) प्रार्थी की ओर से इस आशय की अण्डरटेकिंग दी जाए कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर प्रश्नगत वाहन न्यायालय द्वारा तलब करने पर अपने खर्चे पर प्रस्तुत करेगा ।

(3) सम्बन्धित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि पंजीकृत स्वामी/ आवेदक की पहचान सुनिश्चित करने के उपरान्त स्वयं की पूर्ण संतुष्टि पर उक्त वाहन यदि अन्य किसी अपराध में वांछित न हो तो पंजीकृत स्वामी/ आवेदक की सुपुर्दगी में दे दें।

(गरिमा सिंह- III)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

कोर्ट संख्या- 01, मैनपुरी।